## <u>.न्यायालयः— द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०)</u> (समक्षः श्री पी.सी. आर्य )

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांकः 31 / 15 संस्थापन दिनांक—29.01.2015

- संजय कुमार पुत्र एम0पी0 पटेल आयु 40 साल निवासी ग्राम कुठार थाना नई गढी जिला रीवा म0प्र0 हाल मेन रोड गिरगांव थाना महाराजपुरा ग्वालियर म0प्र0
- 2. सीताराम पुत्र गनपत माहौर आयु 39 साल निवासी भारत मार्केट के पास मालनपुर
- 3. संतोष पुत्र रमाकांत दुबे आयु 38 साल निवासी साहपुर बंदी थाना जीतमल जिला औरैया उ०प्र0
- 4. सतेन्द्रसिंह पुत्र बृजराजसिंह यादव आयु 35 साल निवासी डिरमन पाली हाल निवासी जीवाजी नगर कुम्हरपुरा मुरार ग्वालियर ——पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण <u>वि रू द</u>्व
- 1- म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना मालनपुर

.....प्रितपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय—श्री एस०के० तिवारी, जे०एम०एफ०सी गोहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक—650 / 10 इ०फौ० में पारित आदेश दिनांक 29.12.14 से उत्पन्न दाण्डिक पुनरीक्षण

-----

## <u>—::— आ दे श —::—</u> (आज दिनांक **12 मार्च 2015** को पारित किया गया)

- 1— <u>आवेदक / पुनरी</u>क्षणकर्ता संजयकुमार आदि की ओर से न्यायालय—श्री एस०के० तिवारी, जे०एम०एफ०सी गोहद जिला—भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण कमांक—650 / 10 इ०फौ० में पारित आदेश दिनांक 29.12.14 से व्यथित होकर पेश की गई, जिसमें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनकी ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा—91 जा०फौ० का निरस्त किया गया है।
- 2— पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मालनपुर की ओर से फरियादी नवनीत कावरा के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 06.10.10 की शिकायत के आधार पर अप0क0—120/10 धारा—380 भा0दं0ंसं0 के अंतर्गत दिनांक 25.09.10 की घटना बताते हुए पारस फेक्ट्री से दिनांक 25.09.10 को चार घी की टीन चोरी हो जाने के बाद दिनांक 06.10.10 को आरोपी सीताराम द्वारा घी की टीन चोरी कर ले जाते हुए देखा। और उस टीन को घास की पोटली में फेक्ट्री के मुख्य दरवाजे पर पटककर भाग गया। तथा आरोपी सीताराम ने बताया था कि इस टीन के अलावा चार अन्य टीनें उन्होंने चोरी की हैं जो उन्होंने आपस में बांट ली हैं। उक्त आशय के आवेदन पर थाना मालनपुर द्वारा आरोपीगणों को गिरफ्तारी आदि कर चालान न्यायालय में पेश किया। जिसमें जांच विचारण के उपरान्त निगरानीकर्तागण की

ओर से बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय ने समय दिया था।

- 3— आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से धारा—91 जा.फौ. का आवेदनपत्र पेशकर आरोपीगण को दिनांक—6/10/10 को डयूटी पर होना बताया गया था, इस संबंध में पारस फैक्ट्री मालनपुर के मुख्य गेट पर संबंधित रिजस्टर जो फैक्ट्री में प्रवेश करते व बाहर निकलते समय संबंधित की जानकारी रहती है, और हस्ताक्षर होते हैं, उक्त रिजस्टर को बचाव साक्ष्य में प्रस्तुत किये जाने से तलब किए जाने का निवेदन किया गया था, जिसको विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष दिया है कि— दिनांक—6/10/10 को कोई भी घ ाटना घटित नहीं होना पाते हुए घटना 25/9/2010 की बतायी है एवं उक्त रिजस्टर को तलब किए जाने से मामले के निराकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उक्त आधार पर आवेदनपत्र निरस्त किया था, जिससे व्यथित होकर आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह पुनरीक्षणयाचिका पेश की गयी है, जिसके निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न प्रश्न विचारणीय है:—
  - 1— क्या विद्वान जे.एम.एफ.सी. श्री एस.के. तिवारी, गोहद द्वारा प्रकरण क्रमांक 650 / 2010 में दिनांक 29 / 12 / 2014 को पारित आलोच्य आदेश अवैध अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?
  - 2— क्या पुनरीक्षणकर्ता / आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा–91 स्वीकार किए जाने योग्य है ?

## -:- निष्कर्ष के आधार-:-

4— उपरोक्त दोनों विचारणीय विन्दु का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति ना हो इस कारण एक साथ किया जा रहा है ।

पुनरीक्षणकर्ता / आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि पुनरीक्षणकर्ता / आरोपीगण के विरूद्ध चोरी का जो अपराध बताया है, वह दिनांक-25/9/2010 का बताया है, जबिक उसकी रिपोर्ट दि.-6/10/2010 को की गयी और आरोपी संजय कुमार की गिरफतारी भी दिनांक-6/10/2010 को की गयी । जबकि अन्य अभियुक्तगण की गिरफतारी उसके बाद की भिन्न भिन्न दिनांकों की है और आरोपी / पुनरीक्षणकर्तागण अभियोगी की पारस घी फैक्ट्री में ही काम करते थे और साक्ष्य में यह तथ्य आया है कि फैक्ट्री के अंदर प्रवेश करने पर तथा फैक्ट्री के बाहर निकलने पर उनके मुख्य गेट पर पंजी रखी जाती है, जिसमें इन्द्राज होता है और हस्ताक्षर भी लिये जाते हैं और दिनांक—6/10/2010 को आरोपीगण फैक्ट्री के अंदर ही कार्यरत थे, जबकि संजय के अलावा अन्य अभियुक्त की उक्त दिनांक को कोई गिरफतारी नहीं की गयी । ऐसे में फैक्ट्री के मुख्य गेट पर रखे जाने वाले रजिस्टर को वह बचाव साक्ष्य में तलब कराना चाहते हैं, क्योंकि वह उनके बचाव का मुख्य आधार है, किन्तु विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके पंजी तलब किए जाने संबंधी आवेदनपत्र को बिना किसी उचित कारण के निरस्त कर दिया है, जो कि विधि विधान के विपरीत होकर अपास्त किए जाने योग्य है और आरोपीगण को बचाव का समृचित अवसर मिले तथा उनके साथ न्याय हो । इसके लिए उक्त दिनांक

की गेट पंजी तलब किए जाने संबंधी निर्देश देते हुए पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जावे ।

- 6— जिसका विद्वान ए.जी.पी. द्वारा अपने तर्कों में विरोध करते हुए यह व्यक्त किया गया है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्ट और सकारण आवेदनपत्र निरस्त किया है तथा दिनांक—6/10/2010 की पंजी से गुणदोषों पर कोई प्रभाव नहीं होगा और प्रकरण काफी पुराना है । बचाव साक्ष्य भी हो चुकी है और आवेदनपत्र बिलवकारी है इसलिये उचित रूप से निरस्त हुआ है और पुनरीक्षणयाचिका में कोई बल नहीं है, उसे भी सव्यय निरस्त किया जावे।
- 7— अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन मूल प्रकरण क.—650/2010 के अभिलेख का अवलोकन किया गया । पुनरीक्षण याचिका में उठाये गये बिन्दुओं और प्रस्तुत किए गये तर्कों पर चिन्तन, मनन किया गया । पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आलोच्य आदेश की शुद्धता, वैधता और उसके औचित्य के संबंध में संबंधित शक्ति के तहत विचार करना होता है । धारा—91 द0प्र0सं0 1973 के उपबंध मुताबिक—

## दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन-

- (1) जब कभी कोई न्यायालय या पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी यह समझता है कि किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जो इस संहिता के अधीन ऐसे न्यायालय या अधिकारी के द्वारा या समक्ष हो रही है, किसी दस्तावेज या अन्य चीज का पेश किया जाना आवश्यक या वांछनीय है तो जिस व्यक्ति के कब्जे या शक्ति में ऐसी दस्तावेज या चीज के होने का विश्वास है उसके नाम ऐसा न्यायालय एक समन या ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह अपक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उल्लेखित समय और स्थान पर उसे पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस धारा के अधीन दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने की ही अपेक्षा की गई है, उसे पेश करने के लिए स्वयं हाजिर होने के बजाये इस दस्तावेज या चीज को पेश करवा दे तो यह समझा जायेगा कि उसने उस अपेक्षा का अनुपालन कर दिया है।
- (3) इस धारा की कोई बात—
- (क) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 123 और 124 या बैंककार वहीं साक्ष्य अधिनियम, 1891 (1891 का 13) का प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी ; अथवा
- (ख) डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी पत्र, पोस्टकार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पार्सल या चीज को लागू होने वाली नहीं समझी जायेगी ।
- 8- इस तरह से उक्त प्रावधान की मंशा, कार्यवाही के किसी भी प्रक्रम पर किसी वस्तु या दस्तावेज को संबंधित प्रकरण के लिए आवश्यक या वांछनीय होने की दशा में तलब किए जाने की है, जहां तक विचाराधीन दाण्डिक प्रकरण में आरोपीगण के द्वारा ब्ही.आर.एस. फूड फैक्ट्ररी मालनपुर की गेट पंजी दिनांक-6/10/10 को आहूत करने की प्रार्थना की गयी है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश मुताबिक इस आधार पर निरस्त किया

गया है कि दिनांक-6/10/2010 को कोई घटना घटित नहीं हुई, बल्कि दिनांक-25/9/10 की घटना है, इसलिये उसकी प्रकरण में आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मामले की अंर्तवस्तु पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ।

9— विचाराधीन प्रकरण की घटना प्रदर्श पी.—12 की लेखीय रिपोर्ट अनुसार दिनांक—25/9/2010 की बतायी गयी है और लेखीय रिपोर्ट दि. —6/10/2010 को फैक्ट्री के मैनेजर द्वारा थाना प्रभारी मालनपुर को घी चोरी के संबंध में दी गयी थी, जिसमें बिलंव का कारण लाइन सिक्योरिटी द्वारा आश्वासन दिये जाने के बाद भी कार्यवाही न करने का उल्लेखित किया गया है । यह गुणदोषों की विषय वस्तु है कि रिपोर्ट बिलंवित मानी जायेगी या नहीं । दिनांक—6/10/2010 को आरोपी/पुनरीक्षणकर्ता संजय कुमार की गिरफतारी अवश्य हुई है, सीताराम की गिरफतारी 13/10/2010 की, संतोष की 19/10/2010 की और सतेन्द्र की 20/10/2010 की बतायी गयी है । लेखीय रिपोर्ट मुताबिक आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्तागण को फैक्ट्री के कर्मचारी बताये गये हैं । ऐसी स्थिति में दिनांक—6/10/10 की गेट पंजी पर यदि आरोपीगण के हस्ताक्षर हों तो उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मूल प्रकरण में घटना दि.—25/9/2010 की और उससे पहले बतायी गयी चोरी के तथ्यों पर ही विचार होगा ।

10— ऐसी स्थिति में दि.—6/10/10 की संबंधित संस्थान की गेट पंजी दाण्डिक प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक या वांछनीय होना परिलक्षित नहीं होती है और आरोपीगण/पुनरीक्षणकर्तागण की ओर से अन्य बचाव साक्ष्य पेश की जा चुकी है । मामला वर्ष 2010 का है, जिसका शीघ्र निराकरण गुणदोषों पर संभव है और प्रत्यर्थी/शासन की ओर से विद्वान ए.जी.पी. का यह तर्क कि आवेदनपत्र धारा—91 द0प्र.0सं0 बिलंव के उददेश्य से पेश किया गया था, को बल मिलता है ।

11— इस प्रकार से उपरोक्त विधिक स्थिति एवं प्रकरण के तथ्यों और वर्तमान अवस्था को देखते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश विधि विरूद्ध, अनुचित या औचित्यहीन नहीं माना जा सकता है, ऐसी स्थिति में जिन आधारों पर पुनरीक्षणयाचिका प्रस्तुत की गयी उसे सदभावी नहीं माना जा सकता है। फलतः बाद विचार प्रस्तुत की गयी पुनरीक्षण याचिका सारहीन मानते हुए निरस्त करते हुए आलोच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

12— आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख अग्रिम कार्यवाही हेतु इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जावे कि वे प्रकरण में शीघ्रता से निराकरण हेतु कार्यवाही करेंगे । दिनांक—12 / 03 / 15 आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित कर पारित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी0सी0 आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड (पी०सी० आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड